

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/05/25

संख्या 04 / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), रोहतास (सासाराम) के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री विष्णु देव उपाध्याय - अध्यक्ष
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
 2. श्री लाल मोहन राय - सदस्य
गैर न्यायिक
 3. श्रीमती शोभना कुमारी - सदस्य
गैर न्यायिक
2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।
3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार रोहतास (सासाराम) जिला तक सीमित रहेगा।
4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 998 /

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 998 /

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रोहतास (सासाराम)/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं अन्य व्यक्ति (सदस्यों)/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/05/25

संख्या 05 / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), सहरसा के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

- | | |
|---|-----------|
| 1. श्री विनोद कुमार गुप्ता | - अध्यक्ष |
| अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त | |
| 2. श्री विकास रंजन दफ्तुआर | - सदस्य |
| गैर न्यायिक | |
| 3. श्री मनोज प्रसाद | - सदस्य |
| गैर न्यायिक | |

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार सहरसा जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 999 /

पटना, दिनांक 26/5/25

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 999 /

पटना, दिनांक 26/5/25

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सहरसा/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सहरसा/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/05/25

संख्या-06/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री राजेश कुमार शुक्ला - अध्यक्ष
अपर जिल एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्री संजय कुमार - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्री राणा प्रताप सिंह - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार पश्चिमी चम्पारण, बेतिया जिला तक सीमित रहेगा।
4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1000/

पटना, दिनांक 26/5/25

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1000/

पटना, दिनांक 26/5/25

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/05/25,

संख्या 07 / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), लखीसराय के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री मन कामेश्वर प्रसाद चौबे - अध्यक्ष
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्री साकेत चन्द्र सम्पार - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्री राकेश चन्द्र लोहिया - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार लखीसराय जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1001 /

पटना, दिनांक 26/5/25 /

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1001 /

पटना, दिनांक 26/5/25 /

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लखीसराय/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/05/25

संख्या 08/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), भागलपुर के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री बिरेन्द्र कुमार मिश्रा - अध्यक्ष
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्री राजीव रंजन - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्री सुरज प्रसाद - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार भागलपुर जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1008/

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1008/

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/05/25

संख्या 09 / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), वैशाली, हाजीपुर के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्रीमती सुषमा त्रिवेदी - अध्यक्ष
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्रीमती कुमारी पूर्णिमा - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्री राकेश कुमार - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार वैशाली, हाजीपुर जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1008 /

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1008 /

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, वैशाली, हाजीपुर/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)
सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/05/25

संख्या-Lo/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), पटना के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री सत्येन्द्र पाण्डेय - अध्यक्ष
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्रीमती रेश्मा प्रसाद - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्री संजय कुमार शुक्ला - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार पटना जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1004/

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1004/

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/05/25

संख्या 11 / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), बेगूसराय के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री प्रभात त्रिवेदी - अध्यक्ष
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्रीमती बंदना कुमारी - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्री अरविन्द्र कुमार सिंह - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार बेगूसराय जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1005 /

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1005 /

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेगूसराय/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 26/05/25

संख्या- 12 / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), जहानाबाद, के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री मनोज शंकर, - अध्यक्ष
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्रीमती अनीता कुमारी, - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्रीमती मंजू कुमारी, - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार जहानाबाद जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/25
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या- 1006 /

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/25
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या- 1006 /

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जहानाबाद/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/25
(शिल्पी सोनीराज)
सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/05/25

संख्या 13 / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), भोजपुर, आरा के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री मनोज कुमार, - अध्यक्ष
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्रीमती प्रेरणा पंकज, - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्री सुमन कुमार, - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार भोजपुर, आरा जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1007 /

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

ज्ञाप संख्या 1007 /

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भोजपुर, आरा/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)
सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/05/25

संख्या-14/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), औरंगाबाद के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री अशोक राज - अध्यक्ष
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्री ऋषिकेश - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्री आयुष बगारिया - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार औरंगाबाद जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/25
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1008/

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/25
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1008/

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/25
(शिल्पी सोनीराज)
सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/05/25,

संख्या-15-----/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), नालन्दा, बिहारशरीफ के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री विजय कुमार - अध्यक्ष
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्रीमती आरती सिन्हा - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्रीमती अमला श्रीवास्ताव - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा ।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार नालन्दा, बिहारशरीफ जिला तक सीमित रहेगा ।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे ।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

ज्ञाप संख्या-1009-----/

पटना, दिनांक 26/05/25,

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय ।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

ज्ञाप संख्या-1009-----/

पटना, दिनांक 26/05/25,

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नालन्दा, बिहारशरीफ/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)
सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/05/25

संख्या-16/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), सारण, छपरा, के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री ब्रजेश कुमार मालवीय, - अध्यक्ष
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्रीमती मृदुला कश्यप, - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्रीमती मुस्तरी खातुन, - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार सारण, छपरा जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1010/

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1010/

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सारण, छपरा/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/05/25

संख्या-17/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), गोपालगंज, के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री राधे श्याम शुक्ला, - अध्यक्ष
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्रीमती दिव्यांशी मिश्रा, - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्री राजेश रंजन कुमार, - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार गोपालगंज जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1011/

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1011/

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गोपालगंज/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक-26/5/25

संख्या-18-----/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), कैमूर, भभुआ के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री सुजीत कुमार सिंह, - अध्यक्ष
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्रीमती शीला कुमारी, - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्रीमती बिभा कुमारी सिन्हा, - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार कैमूर, भभुआ जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/5/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1012-----/

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1012-----/

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर, भभुआ/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/5/25 /

संख्या 19 / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), बक्सर, के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री प्रवीण कुमार सिंह श्रीनेट. - अध्यक्ष
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्री माधव राय, - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्री सुनील कुमार सिन्हा, - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार बक्सर जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव
26/05/25

ज्ञाप संख्या 1013 /

पटना, दिनांक 26/05/25 /

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव
26/05/25

ज्ञाप संख्या 1013 /

पटना, दिनांक 26/05/25 /

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बक्सर/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/5/25

संख्या-20/-विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), गया के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री लोलार्क दूबे - अध्यक्ष
प्रधान न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्री राजेश चन्द्र - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्री अनिल आशुतोष - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार गया जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1014/-

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1014/-

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, गया/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/5/25

संख्या 21/-----/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), मुजफ्फरपुर, के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री अनिल कुमार मिश्रा, - अध्यक्ष
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्रीमती कुमारी ममता श्रीवास्ताव, - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्री मणी शंकर प्रसाद सिन्हा, - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार मुजफ्फरपुर जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव
26/05/25

ज्ञाप संख्या 1015/-----/

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव
26/05/25

ज्ञाप संख्या 1015/-----/

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुजफ्फरपुर/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/5/25 /

संख्या ११ / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), सीतामढ़ी के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री मनोज कुमार राय - अध्यक्ष
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्री जितेन्द्र कुमार - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्री अजय कुमार झा - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार सीतामढ़ी जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/25
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव
26/05/25

ज्ञाप संख्या 1016 /

पटना, दिनांक 26/05/25 /

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/25
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव
26/05/25

ज्ञाप संख्या 1016 /

पटना, दिनांक 26/05/25 /

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सीतामढ़ी/ प्रमडलीय आयुक्त/ जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/ सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/ राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/ महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

26/05/25
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/5/25 /

संख्या 29 / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), दरभंगा के लिए निर्मांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, - अध्यक्ष
पीठासीन पदाधिकारी, (मो० दु० न्यायाधिकरण) सेवा निवृत्त
2. श्री आदित्य नाथ झा, - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्री विश्वनाथ सिंह, - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार दरभंगा जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1017 /

पटना, दिनांक 26/05/25 /

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1017 /

पटना, दिनांक 26/05/25 /

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा/ प्रमडलीय आयुक्त/ जिला पदाधिकारी, दरभंगा/ सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/ राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/ महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/5/25 /

संख्या 24 / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), नवादा के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री राम बचन सिंह, - अध्यक्ष
प्रधान न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्री अश्विनी कुमार सिंह आनन्द, - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्री संजय कुमार भारद्वाज, - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार नवादा जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1018 /

पटना, दिनांक 26/05/25 /

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1018 /

पटना, दिनांक 26/05/25 /

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, नवादा/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/5/25 /

संख्या 25 / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), पूर्णियाँ, के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री आशुतोष कुमार. - अध्यक्ष
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्रीमती फरजाना बेगम. - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्रीमती मनीषा कुमारी. - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार पूर्णियाँ जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/25
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव
26/05/25

ज्ञाप संख्या 1019 /

पटना, दिनांक 26/05/25 /

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/25
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव
26/05/25

ज्ञाप संख्या 1019 /

पटना, दिनांक 26/05/25 /

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/ सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/25
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/5/25

संख्या-26/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. मो0 अली अहमद - अध्यक्ष
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्री सुरज कुमार तिवारी - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्रीमती किरण कुमारी - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला तक सीमित रहेगा।
4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव
26/05/25

ज्ञाप संख्या-1020

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव
26/05/25

ज्ञाप संख्या-1020

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/5/25 /

संख्या ११ / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), खगड़िया के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री रजनीश कुमार श्रीवास्ताव - अध्यक्ष
निबंधक-सह-सचिव, (उ०न्या०वि०से०स०) सेवा निवृत्त
2. मो० शकील सिद्दीकी - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्रीमती शिखा सिन्हा - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार खगड़िया जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1021 /

पटना, दिनांक 26/5/25 /

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1024 /

पटना, दिनांक 26/5/25 /

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खगड़िया/ प्रमडलीय आयुक्त/ जिला पदाधिकारी, खगड़िया/ सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/ राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/ महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/5/25 /

संख्या ११ / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), सिवान, के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री ओम प्रकाश सिंह - अध्यक्ष
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्री रमेश कुमार सिंह - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्रीमती विनीता देवी - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार सिवान जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/5/25
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1022 /

पटना, दिनांक 26/5/25 /

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/5/25
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1022 /

पटना, दिनांक 26/5/25 /

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिवान/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सिवान/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/25
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/05/25

संख्या 29/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), शिवहर, के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, - अध्यक्ष
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्री प्रिया रंजन प्रसाद, - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्री दिलीप कुमार सिंह, - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार शिवहर जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव
26/05/25

ज्ञाप संख्या 1029/

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव
26/05/25

ज्ञाप संख्या 1029/

पटना, दिनांक 26/05/25

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शिवहर/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, शिवहर/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/5/25

संख्या-30-विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), सुपौल, के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री राम बाबु त्रिपाठी, - अध्यक्ष
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. डा0 अरविन्द कुमार झा, - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्री लक्ष्मण कुमार, - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार सुपौल जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/5/25
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव
26/05/25

ज्ञाप संख्या-1024-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/5/25
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव
26/05/25

ज्ञाप संख्या-1024-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सुपौल/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/25
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/5/25

संख्या-91/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), बाँका के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री कृष्ण मोहन तिवारी - अध्यक्ष
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्री प्रिन्स कुमार - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्रीमती विजय लक्ष्मी - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार बाँका जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1025/

पटना, दिनांक 26/5/25

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1025/

पटना, दिनांक 26/5/25

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बाँका/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बाँका/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/5/25

संख्या-02/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), मुगिर, के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. मो० हसमुद्दीन अंसारी, - अध्यक्ष
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्री मृगांक रंजन, - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्रीमती पुष्पांजली कुमारी, - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार मुगिर जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1026/

पटना, दिनांक 26/5/25

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1026/

पटना, दिनांक 26/5/25

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुगिर/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, मुगिर/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना
११११

पटना, दिनांक २६/५/२५ /

संख्या-८८ /विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), मधुबनी के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री अरविन्द कुमार सिंह-II, - अध्यक्ष
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. मो० कुमार आलम, - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्रीमती अफसारी इल्ताफ, - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार मधुबनी जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

२६/०५/२०२५
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-१०२५ /

पटना, दिनांक २६/०५/२५ /

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

२६/०५/२०२५
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-१०२५ /

पटना, दिनांक २६/०५/२५ /

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मधुबनी/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२६/०५/२०२५
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/5/25

संख्या 34 / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), कटिहार, के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. मो० इबीबुल्हा, - अध्यक्ष
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्रीमती जीनत रहमान, - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्रीमती कुमारी रेणु, - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार कटिहार जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/5/25
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1028 /

पटना, दिनांक 26/5/25

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/5/25
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1028 /

पटना, दिनांक 26/5/25

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कटिहार/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, कटिहार/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

26/5/25
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/5/25,

संख्या 96 / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), शेखपुरा, के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री कुमुद रंजन सिंह . - अध्यक्ष
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्री समीर राज . - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्रीमती शारदा कुमारी . - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा ।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार शेखपुरा जिला तक सीमित रहेगा ।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे ।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1029 /

पटना, दिनांक 26/05/25,

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय ।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 1029 /

पटना, दिनांक 26/05/25,

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शेखपुरा/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, शेखपुरा/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26/5/25

संख्या 36. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), समस्तीपुर, के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री इन्द्रजीत सिंह - अध्यक्ष
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्री असीम कुमार सिंह - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्री प्रतिमा कुमारी साह - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार समस्तीपुर जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव
26/05/25

ज्ञाप संख्या 1030

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)

सदस्य सचिव
26/05/25

ज्ञाप संख्या 1030

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/05/2025
(शिल्पी सोनीराज)
सदस्य सचिव